355

NOTARIAL NOTARIAL

न्यायालय समक्ष राजस्व मडंल ग्वालियर (म.प्र.)

नि/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/02296

प्रकरण कमांक ..../ ....

महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यालय

प्रबंधक न्यासी गिरीशचंद्र वर्मा

आत्मज स्व. श्री के. के. वर्मा

साकीन – लहदरा नाका

द्वारा प्राचार्य अतुल वर्मा

आत्मज स्व. श्री कृष्ण कुमार वर्मा, आयु – 49 लगभग

निवासी – महर्षि विद्या मंदिर लहदरा

नाका थाना मोती नगर सागर (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

श्री .... द्वारा .... प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 19-4-18 नियत।
क्लर्क आफ कोर्ट 9-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. श्रीमती किरण सोनी जडिया

   पत्नी स्व. श्री रामबावू जडिया

2. सुधीर आत्मज स्वः श्री रामबाबू जडिया

   दोनो आयु वयस्क दोनो निवासी – गांधी चौक

   वार्ड सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..................................अनावेदकगण

~~3. म.प्र. शासन~~

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व सहिंता 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक 05 /अ 70 /16–17 में पारित आलौच्य अतिंरिम आदेश दिनांक 21.9. 2017 के विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर न्याय दान हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अनावेदक कमांक 01 व 02 ने ग्राम लेहदरा स्थित भूमि खसरा कमांक 238 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा कमांक 239 रकबा 0.10 हैक्टेयर के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/02296

महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यालय विरूद्ध श्रीमती किरण सोनी जडिया व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25—02—2019	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सागर जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 05/अ—70/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 21—09—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 18—4—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर.के. जैन) सदस्य 25/2/2019	